



पलडा
(23/11/2021)

"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
मोहनलाल पुत्र गोगाराम जाति कुमावर सा. सीरापुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	178/2021	GCMS No. 2021/877
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23/11/2021	<p>वादी श्री मोहनलाल पुत्र गोगाराम जाति कुमावर निवासी सीरापुर द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पलडा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-76 ग्राम श्रीरापुर पटवार मण्डल पलडा के खाता नम्बर 100, 101, 102 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि 179 पुत्र गोगाराम मोहनराम दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम मोहनलाल पुत्र गोगाराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 656550104804 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी पलडा भू.अ.नि. मण्डल एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दाफतार हो।</p>	
		761-763
		  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)